



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15966

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या- 673/2026

श्रीमती सन्तोष श्रीवास्तव

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उ०प्र० राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : उपेन्द्र कुमार पाण्डेय

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री उपेन्द्र कुमार पांडे और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह स्वर्गीय नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की विधवा है, जो उसके खिलाफ वन प्राधिकरण में काम कर रहा था, वर्ष 2011 में सेवाओं को समाप्त करने का आदेश पारित किया गया था, जो 2011 की रिट-ए संख्या 27380 में चुनौती का विषय था, हालांकि, उक्त रिट याचिका को उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दिया गया था। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता के पति ने न्यायाधिकरण के समक्ष किसी भी कार्यवाही को प्राथमिकता नहीं दी है। रिट याचिकाकर्ता के पति की भी मृत्यु हो चुकी है। रिट याचिकाकर्ता ने उस अवधि के लिए वेतन का भुगतान किया जब उसके पति ने काम किया था और अन्य लाभ भी।



3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सामाजिक वाणिकी प्रभाग आजमगढ़ द्वारा 05.02.2025 को पारित एक आदेश इस आधार पर पारित किया गया है कि रिट याचिकाकर्ता उस संबंध में किसी भी लाभ का हकदार नहीं है।

4. मैंने बार में किए गए सबमिशन को सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

5. तथ्य मुद्दे में हैं। यह विवाद में नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता के पति को वर्ष 2011 में बर्खास्तगी के आदेश का सामना करना पड़ा था, हालांकि उन्होंने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन न्यायालय ने मूल रिट याचिकाकर्ता को लोक सेवा न्यायाधिकरण से संपर्क करने की आवश्यकता वाली याचिका को खारिज कर दिया। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक बयान दिया गया है कि रिट याचिकाकर्ता के पति ने न्यायाधिकरण का दरवाजा नहीं खटखटाया है। चूंकि यह तथ्यात्मक और कानूनी स्थिति है, इस प्रकार, रिट याचिकाकर्ता पेंशन लाभ का हकदार नहीं होगा, हालांकि, वास्तविक दिनों के लिए वेतन के भुगतान के संबंध में जब वह काम करता था या निर्वाह भत्ता होता है, चौथे प्रत्यर्थी, सामाजिक वाणिकी प्रभाग आजमगढ़ के निदेशक द्वारा इस पर विचार करने की आवश्यकता होती है।

6. बार में की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिकाकर्ता को 05.02.2026 तक चौथे प्रत्यर्थी, सामाजिक वाणिकी प्रभाग आजमगढ़ के निदेशक के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश देने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद, चौथा प्रत्यर्थी तीन महीने की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे पर फैसला करेगा।

21 जनवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)